

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :स. 3-5(5)स्था/राजपत्रित/अभि/2016/517-577 जयपुर, दिनांक:- 29.06.2024

**आदेश**

गृह (ग्रुप-10) विभाग के आदेश प. 03(1)/गृह-10/2012 दिनांक 11.06.2024 द्वारा 41 सहायक अभियोजन अधिकारियों को अभियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। उक्त पदोन्नत सभी अभियोजन अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करें।

संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारी का कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग
2. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
4. संबंधित संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
5. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
6. संबंधित अधिकारी द्वारा उप निदेशक अभियोजन -----।
7. संस्थापन शाखा (राजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,